न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 234/17
निर्णय दिनांकः– 13.06.2018

1. सुनील कुमार उर्फ छीतर पुत्र भूरा जाति जाट नि0 सालगरामपुरा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र धन्नालाल
2. श्योकरण पुत्र भूरा
   समस्त जाति जाट नि0 सालगरामपुरा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर
3. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र हनुमान
5. हीरालाल पुत्र हनुमान
6. राजूदेवी पत्नि बाबूलाल
   समस्त जाति जाट नि0 आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 21/1 रकबा 7 बीघा 13 विस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा प0ह0 रामजीपुरा कला तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की आराजी के नजदीक अन्य खातेदारों की आराजी खं0नं0 22 है तथा नजदीकी आराजी खं0नं0 22 के खातेदार आयेदिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर झगड़ा फिसाद पर आमादा रहते है तथा आराजी की सीमा सम्बन्धित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है जबकि प्रार्थी ने उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी करवा रखा है तथा प्रार्थी आराजी खं0नं0 21/1 की दक्षिणी सीमा को आयेदिन तोड़फोड़ कर प्रार्थी की आराजीयात पर अतिक्रमण करते रहते है इस प्रकार से अतिक्रमण कर प्रार्थी की आराजी को दबाते रहते है जब प्रार्थी इनको अपनी दक्षिणी खेत की सीमा को तोड़फोड़ करने हेतु अप्रार्थीगण को मना करता है तो नहीं मानते है व कहते रहते है कि आप अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लो जिस पर प्रार्थी ने खातेदारी की आराजी खं0नं0 21/1 रकबा 7 बीघा 13 विस्वा का मौके पर सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार कि0रेनवाल के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार के आदेश क्रंमाक भू0अ0/17/1962 दिनांक 03.05.17 के आदेश पर पटवारियों की टीम द्वारा मौके पर जाकर प्रार्थी की उक्त खं0नं0 21/1 का जरीब चलाकर

ड अधिकारी
र लेक

Scanned by CamScanner

सीमाज्ञान किया गया जिस पर पाया कि पड़ौसी आराजी खं0नं0 22 के काश्तकार अप्रार्थी सं0 1लगा0 6 ने प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की दक्षिणी सींव फोड़कर उसकी भूमि को दबा रखी है जब प्रार्थी ने तहसीलदार कि0रेनवाल के समक्ष दिनांक 23.05.17 को उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाने हेतु आवेदन किया तो उन्होनें हल्का पटवारी को नियमानुसार कार्यवाही कर पालना कर रिपोर्ट भिजवानें के आदेश दिये गये लेकिन आजतक हल्का पटवारी व तहसीलदार कि0रेनवाल के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 21.05.17 के आधार पर मौके पर सीमा पर कोई पत्थरगढ़ी नहीं की गई एंव इंकार हो गये जिस पर उक्त प्रा0पत्र पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 में न्यायालय हाजा में पेश हुयी। अप्रार्थीगणों को बार बार आवाज लगायी गयी परन्तु कोई अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए इसलिए अप्रार्थीगणों के विरूद्वएकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थी को सुना गया।

न्यायालय ने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी ने अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी ने अपनी आराजी का दिनांक 21.05.17 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी खं0नं0 21/1 रकबा 7 बीघा 13 विस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा प0ह0 रामजीपुरा कला तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.05.2017 के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत न्यायालय हाजा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner